राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 5033/2015

विद्यारतन सोरल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतीकरण की दिनांक : 06.05.2015
आदेश की दिनांक : 16.04.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री सी पी त्रिवेदी, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री यशवन्त मेहता, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने अनुतोष चाहा है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को उसकी माता को वांछित अधिकार से प्राप्त पारिवारिक पेंशन वर्ष 2004 से माह अगस्त, 2014 तक मय ब्याज भुगतान के आदेश पारित करावें।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के पिता स्व॰ श्री श्याम रतन सोरल जिला कलक्टर कार्यालय कोटा में कार्यालय अधीक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुए माह नवम्बर 1968 में सेवा निवृत्त हुए तत्पश्चात् सितम्बर, 2004 में अपीलार्थी के पिता का देहान्त हुआ। अपीलार्थी की माता स्व श्रीमती विद्यावती उर्फ विजयलक्ष्मी सोरल स्व श्री श्याम रतन जी की धर्मपत्नी थी एवं उनके द्वारा प्रत्यर्थी विभाग से पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने हेतु लगातार प्रयास किए जाने के उपरान्त अन्ततोगत्वा माह अगस्त 2014 में उनका स्वर्गवास हो गया। किन्तु उन्हें नियमानुसार देय माह अगस्त 2014 तक की पारिवारिक पेंशन का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को उसकी माता को वांछित अधिकार से प्राप्त पारिवारिक पेंशन वर्ष 2004 से माह अगस्त, 2014 तक मय ब्याज भुगतान के आदेश पारित करावें।
3. प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से प्रस्तुत प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. हमने विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी की तरफ से यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह

अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी की तरफ से प्रस्तुत अनुरोध एवं न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को दें। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।
6. अतः उक्त अपील, मय लिखित प्रार्थना पत्रों के उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

SD/-
(असलम मेहर)
सदस्य

SD/-
(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य